भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1295
उत्तर देने की तारीख : 25.07.2022

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षण

1295. श्री संजय सेठः

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है:
(ख) उक्त योजना को लागू करने वाले निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों का झारखंड में जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) ऐसे संस्थानों में बच्चों के नामांकन हेतु किए गए प्रावधानों और वह प्रणाली जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि स्कूल प्रशासन नामांकन नियमों का उल्लंघन न करे, का ब्यौरा क्या है; और
(घ) पिछले दो वर्षों के दौरान उक्त अधिनियम के अंतर्गत रांची के विभिन्न स्कूलों द्वारा दिए गए प्रवेशों की संख्या का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (घ): नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 में अधिदेश दिया गया है कि समुचित सरकार 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को पड़ोस के स्कूल में नि:शुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करे। आरटीई अधिनियम पूरे देश में लागू है।

आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12(1) (ग) में धारा 2 के खंड (ढ) के उपखंड (iii) और (iv) में निर्दिष्ट स्कूलों में कक्षा I (या उससे कम) में उस कक्षा की संख्या के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक कमजोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के प्रवेश का प्रावधान है।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में हैं जो अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए समुचित सरकार हैं और उन्हें वंचित समूहों और कमजोर वर्गों, प्रति बालक लागत के बारे में अधिसूचित करना और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश शुरू करना तथा एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना जरूरी है।

शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से देश भर के निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों का जमीनी मूल्यांकन करने का अनुरोध किया है जिससे आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, शिक्षा मंत्रालय, राज्य शिक्षा सचिव सम्मेलन, क्षेत्रीय/राज्य कार्यशालाएं, परियोजना अनुमोदन बोर्ड की बैठकें

जैसी विभिन्न बैठकों में आरटीई अधिनियम, 2009 की धारा 12 के कार्यान्वयन पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सलाह देती रही है /उनका मार्गदर्शन करती रही है।

झारखंड राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन निजी और गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों, जिन्होंने झारखंड में उक्त योजना को कार्यान्वित किया है, की संख्या का जिला-वार ब्यौरा:-

क्र.सं.	जिला	स्कूलों की संख्या	क्र.सं.	जिला	स्कूलों की संख्या
1	बोकारो	39	13	कोडरमा	7
2	छत्र	3	14	लोहरदगा	3
3	देवघर	24	15	पाकुर	4
4	धनबाद	52	16	पलामू	8
5	दुमका	24	17	पश्चिम सिंहभूम	9
6	गढ़वा	19	18	पूर्वी सिंहभूम	64
7	गिरिडीह	19	19	रामगढ़	20
8	गोड्डा	4	20	रांची	97
9	गुमला	4	21	सराईकेला	24
10	हजारीबाग	53	22	सिमडेगा	4
11	जामताड़ा	10	कुल		**496**
12	खुंटी	5	लातेहर और साहिबगंज नाम के दो जिलों इस श्रेणी के अंतर्गत कोई स्कूल नहीं है		

झारखंड राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, रांची जिला में वर्ष 2020-21 और 2021-22 में विभिन्न गैर-सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(ग) के तहत किए गए नए प्रवेश क्रमश: 345 और 437 हैं।

*****